रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 2000 (पौष 9, 1922)
No 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 2000 (PAUSA 9, 1922)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

केन्द्रीय कार्यालय

239, विधान भवन मार्ग

मुम्बई–400021, दिनांक 12 अप्रैल 2000

सं० ओ० एस० आर०/16:—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियमों में और संशोधन करके निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. (1) ये विनियम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 2000 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में उपबन्धित अन्यथा को छोड़कर ये सरकारी गजट में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में,

(क) विनियम 12 में, उप विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप विनियम शामिल किया जायेगा, अर्थात्–

(4) किसी भी अधिकारी को,

(क) जिसने उप विनियम (1) में उल्लिखित विकल्प का प्रयोग किया है,

और

(ख) जिसने पहली फरवरी, 1984 के पश्चात् भी नियुक्ति की तारीख के तत्काल पूर्व उसे लागू वेतन और भत्ते प्राप्त करना जारी रखा, और

(ग) जो पहली अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् बैंक की नियमित सेवा में है,

पहली अप्रैल, 1997 को या उसके बाद से, इन विनियमों के अधीन लागू वेतन एवं भत्तों के लिये विकल्प देने की अनुमति दी जाये। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसका

वेतन पर नियतन इस रीति से किया जायेगा कि उप-विनियम 4(2) में निर्दिष्ट वेतन, 01-04-1997 को उप-विनियम (2) के अनुसार उसके द्वारा आहरित उसके मौजूदा वेतन (अर्थात् वेतन तथा महंगाई भत्ता) के लगभग है।

(ख) विनियम 23 में,

(i) उप विनियम (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और शब्द "रु० 40 प्र० मा० या रु० 25 प्र० मा०" के लिये क्रमश: अक्षर, अंक और शब्द "रु० 125 प्रति माह या रु० 100 प्रति माह" प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं ;

(ii) उप विनियम (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा,

अर्थात् :

"परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु० 150 प्र० मा०" के लिये अक्षर और अंक रु० 300 प्रति माह प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं ;

(iii) उप विनियम (v) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) अक्षर और अंक "रु० 700 के लिये, अक्षर और अंक "रु० 1000" प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) पहले तथा दूसरे परन्तुक में दोनों स्थानों पर आने वाले अक्षर और अंक "रु० 350", अक्षर और अंक "रु० 500" से प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं;

(iv) उप-विनियम (vii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा,

अर्थात् :

"परन्तु वित्तीय वर्ष 1997-98 को और उसके बाद से, उप-विनियम के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु० 150" के लिये अक्षर और अंक "रु० 250" प्रतिस्थापित कर दिये गये हैं ;

(v) उप-विनियम (viii) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा,

अर्थात् :

"परन्तु पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, इस उप-विनियम के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो अक्षर और अंक "रु० 35" प्र० मा० के लिये अक्षर, शब्द और अंक "रु० 70" प्र० मा० प्रतिस्थापित कर दिये गये है ;

(ग) विनियम 32 में, उप विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु वर्ष 1997 में या किसी अनुवर्ती वर्ष में ली गई आकस्मिक छुट्टी, आगामी 3 वर्षों में बीमारी छुट्टी के बाद में या पहले जोड़ी जा सकती है

(छ) विनियम 42 में।

(i) उप-विनियम 2(i) में, शब्द और अंक "01-07-1993 को और उसके बाद से परन्तु 01-04-1997 से पूर्व" प्रतिस्थापित किये जायेंगे :

(ii) उप-विनियम 2(.) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जायेगा, अर्थात् :

"2(i) (क) पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से, स्थानान्तरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिये निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जायेगी :

वेतन-सीमा	परिवार-सहित	परिवार-सहित
रु० 4250/— प्रतिमाह से रु० 6210/— प्रतिमाह	3000 किलोग्राम	1500 किलोग्राम
रु० 6211/— प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2000 किलोग्राम

(ii) उप-विनियम (3) में शब्द और अंक "01-01-1997 को और उसके

बाद से" के लिये शब्द और अंक "01-01-1987 को और उसके बाद से परन्तु 01-04-1997 से पूर्व" प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(iv) उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जायेगा:

3(क) "पहली अप्रैल, 1997 को और उसके बाद से स्थानन्तरित अधिकारी सामान की पैकिंग स्थानीय परिवहन और उसके बीमे आदि के लिये निम्नानुसार एकमुश्त राशि पाने का पात्र होगा :—

श्रेणी	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबन्धन	रु० 5000/—
मध्य एवं कनिष्ठ प्रबन्धन	रु० 4000/—

जी० आर० आनन्द,
महा प्रबन्धक (कार्मिक)

पद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किये गये संशोधन नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्रकाशित किये गये थे।

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या	दिनांक
1.	ओ० एस० आर०/1	17-08-1987
2.	ओ० एस० आर०/2	02-12-1987
3.	ओ० एस० आर०/4	09-02-1989
4.	ओ० एस० आर०/7	30-10-1992
5.	ओ० एस० आर०/12	20-08-1996

औद्योगिक संबंध विभाग

मुंबई-400021, दिनांक 13 अगस्त 2000

सं० 3(ए)/13-8-2000—यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक बोर्ड, बैंकिंग कंपनीज (अभिग्रहण और हामीदारी का अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पढ़ा गया, धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी (अनुशासन और अपील) विनियमन, 1976 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना:

(1) इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियमन, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये प्राधिकृत गजट में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन, 1976 में मद क्रमांक (2) के लिए उप खंड (ii) में खंड (ए) में उप विनियम (i) में विनियमन 14 का स्थान निम्न लेगा

(2) जहां जांच बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती है, अगले तीन महीनों के लिए निलंबन की तारीख से पहले अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित किए गए मूल वेतन का 1/3 और निलंबन की शेष अवधि के लिए निलंबन की तारीख से पूर्व तारीख पर अधिकारी कर्मचारी द्वारा आहरित किए गए मूल वेतन का 1/2 मिलेगा।

जी० आर० आनंद
महा प्रबंधक (का०)

पाद टिप्पणी:—यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमन 1976 में किए गए पूर्व संशोधनों को भारतीय गजट में निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रकाशित किया गया है।

क्रम सं०	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
1.	हिस्सा iii धारा 4	1 मार्च, 1997

मुंबई-400 021, दिनांक 31 अक्तूबर 2000

सं० 3(सी)/2000—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियमन 1976 में संशोधन करने के लिए, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियमन बनाता है, नामत:

1. (1) इन विनियमनों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियमन 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी (आचरण) विनियमन 1976 में विनियम 24 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा नामत.

24(क) कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निषेध

(1) कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी महिला के कार्य के स्थान के किसी प्रकार के यौन शोषण के कार्य में लिप्त नहीं होगा।

(2) प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जो किसी कार्य के स्थान का प्रभारी है, ऐसे स्थान पर किसी महिला के यौन शोषण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करेगा।

व्याख्या इस विनियम के लिए यौन शोषण में अस्वीकार्य यौन संबंधी व्यवहार (चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से किए गए हों या अन्यथा) शामिल हो जैसे

(क) शारीरिक संबंध बनाना या ऐसे प्रस्ताव रखना,

(ख) यौन संबंधी क्रियाओं के लिए अनुरोध या मांग करना,

(ग) यौन संबंधी टिप्पणियां करना,

(घ) अश्लील साहित्य दर्शाना, या,

(ड) किसी अन्य प्रकार का अस्वीकार्य शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक योनाचार आचरण।

जी० आर० आनंद
महा प्रबंधक (कार्मिक)

अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी संस्थान में रोजगार स्वीकार करना) विनियम, 2000

सं० 3 (बी)/31-10-2000.—यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया का निदेशक बोर्ड, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और क्रम भाग III खण्ड 4 दिनांक 15-4-1995 द्वारा भारत सरकार के गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात.—

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना।

1. इन विनियमों को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी संस्थानों

में रोजगार स्वीकार करना) विनियम 2000 कहा जायेगा।

2. ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना

ये विनियम, निम्नलिखित को छोड़कर बैंक के सभी अधिकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे—

(i) बैंक के अध्यक्ष

(ii) बैंक के प्रबन्ध निदेशक

(iii) पूर्णकालिक निदेशक, यदि कोई हो तो

(iv) बैंक के (कर्मचारी) पेंशन विनियमन 1995 के तहत कवर किये गये अधिकारी कर्मचारी

(v) जो आकस्मिक नौकरी में हैं या आकिस्मकता से भुगतान पाते हैं।

(vi) अवार्ड स्टाफ

(vii) संविदा पर अधिकारी

3. परिभाषा

इन विनियमों में, सन्दर्भ द्वारा अन्यथा आशयित न होने पर—

(ए) बैंक का अर्थ 'यूनियन बैंक आफ इण्डिया'

(बी) 'बोड' का अर्थ यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के निदेशकों का बोर्ड

(सी) 'सक्षम प्राधिकारी' का अर्थ इन विनियमों के उद्देश्य हेतु बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी

(डी) (i) निजी संस्थानों में रोजगार का अर्थ किसी कम्पनी (बैंकिंग कम्पनी सहित), सहकारी समिति, व्यापार, व्यवसाय, औद्योगिक, वित्तीय या व्यावसायिक कारोबार में संलग्न किसी व्यक्ति या फर्म के एजेंट सहित उसमें किसी भी हैसियत में रोजगार, जिसमें ऐसी कंपनी (बैंकिंग कंपनी सहित) के निदेशक का पद या ऐसी फर्म में भागीदारी सम्मिलित है, किंतु इसमें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पूर्णत या अधिकांशत: नियंत्रित निगमित निकाय में रोजगार शामिल नहीं होगा।

(ii) स्वतन्त्र रूप से या किसी फर्म के भागीदार के रूप में इन मामलों में सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में प्रैक्टिस स्थापित करना जिनमें

(क) उसके पास कोई व्यावसायिक योग्यता नहीं है और जिन मामलों में प्रैक्टिस स्थापित की जानी है या चलाई जानी है, उन मामलो का उसके कार्यालयीन ज्ञान या अनुभव से सम्बन्ध हो,

(ख) व्यावसायिक योग्यता है किन्तु उन मामलों में जहां प्रैक्टिस करनी है, वहा अपनी पूर्व की कार्यालयीन स्थिति की वजह से उसके मुवक्किल को अनुचित लाभ प्राप्त होने की संभावना है,

(ग) ऐसा काम लेना, जिसमें बैंक के कार्यालयों या अधिकारियों के साथ सम्पर्क शामिल हो।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के उद्देश्य से सहकारी समिति के तहत रोजगार अभिव्यक्ति में ऐसी समिति में चुनाव या किसी अन्य तरीके से भरे जाने वाले अध्यक्ष, सभापति, प्रबन्धक, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं ऐसे ही किसी भी नाम से समिति में जाने वाले किसी पद को धारित करना शामिल है।

(ई) अधिकारी कर्मचारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो बैंक में पर्यवेक्षी, प्रशासनिक या प्रबन्धकीय पद धारित कर चुका हो या अन्य कोई जिसकी बैंक के अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई हो और/या सेवानिवृत्ति के समय बैंक के अधिकारी के रूप में कार्य कर चुका हो, भले ही उसका पदनाम कुछ भी रहा हो।

4. सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार स्वीकार करना

1. यदि कोई व्यक्ति, अपनी सेवानिवृत्ति के तत्काल, पूर्व, अधिकारी कर्मचारी का पद धारित करता हो और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व निजी संस्थान में कोई रोजगार स्वीकार करना चाहता हो, तो उसे ऐसी स्वीकृति हेतु बैंक से पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

2. उप विनियम (3) के प्रावधान के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर बैंक लिखित आदेश द्वारा, उन शर्तों के अधीन जिन्हें वह उचित समझे, अनुमति प्रदान कर करता है या आदेश में रिकार्ड किये गये कारणों से उस व्यक्ति को आवेदन से निर्दिष्ट निजी संस्थान में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति देने से मना कर सकता है।

3. विनियम (2) के तहत किसी व्यक्ति को वाणिज्यिक रोजगार कर लेने हेतु मंजूरी प्रदान करने या इन्कार करने में बैंक, निम्नलिखित खातों पर विचार करेगा, अर्थात—

(ए) प्रस्तावित रोजगार का स्वरूप एवं नियोक्ता का पूर्ववृत्त

(बी) क्या प्रस्तावित रोजगार में उसके कर्त्तव्य इस प्रकार के है, जो उसे बैंक के साथ विवाद की स्थिति में डाल सकते हैं।

(सी) क्या अधिकारी कर्मचारी, जब सेवा में था, तो उसका नियोक्ता के साथ, जिसके तहत वह प्रस्तावित रोजगार लेना चाहता है, ऐसा कोई संपर्क हुआ है जो इस आशंका का युक्तियुक्त आधार हो सके कि इस व्यक्ति ने नियोक्ता के साथ पक्षपात किया हो।

(डी) क्या प्रस्तावित वाणिज्यिक रोजगार का काम, बैंक के साथ कोई सम्पर्क रखता है,

(ई) क्या उसके वाणिज्यक काम ऐसे होंगे, जोकि बैंक में उसकी पूर्व कार्यालयीन स्थिति या ज्ञान या अनुभव से प्रस्तावित नियोक्ता के अनुचित लाभ उठाने के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं,

(एफ) प्रस्तावित नियोक्ता द्वारा परिलब्धियां और

(जी) अन्य कोई सम्बन्धित बात ।

4. उप-विनियम (2) के तहत आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के समय में, बैंक आवेदन की गई अनुमति की मंजूरी प्रदान करने से मना नहीं करता है या आवेदनकर्ता को इन्कार के बारे में संसूचित नहीं करता है तो यह माना जायेगा कि बैंक ने आवेदन की मांगी गई अनुमति प्रदान कर दी है ।

बशर्ते किसी ऐसे मामले में आवेदनकर्त्ता द्वारा दोषपूर्ण या अपर्याप्त जानकारी दी गई हो और बैंक के लिये उससे अतिरिक्त स्पष्टीकरण एवं जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो गया हो, तो साठ दिनों की अवधि उस तारीख से गिनी जायेगी, जिस तारीख पर कमियों का निराकरण किया गया हो या आवेदनकर्त्ता द्वारा पूरी जानकारी दी गई हो ।

5. जहां बैंक आवेदित अनुमति, किन्हीं शर्तों के अधीन प्रदान करता है या ऐसी अनुमति नहीं देता है तो आवेदनकर्ता बैंक से इस आशय के आदेश की प्राप्ति से तीस दिन के अन्दर ऐसी किसी शर्त या इन्कार के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता है एवम् बैंक उस पर जैसा भी उचित समझे, आदेश जारी कर सकता है ।

बशर्ते कि ऐसी शर्त के निरस्त करने या कोई भी शर्त रहित अनुमति प्रदान करने के आदेश के अलावा इस उप-विनियम के अन्तर्गत अन्य कोई आदेश जारी किया जाना है तो अभ्यावेदनकर्त्ता को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा ।

6. इस विनियम के तहत बैंक द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को सूचित किया जायेगा ।

जी० आर आनन्द,
महा प्रबन्धक (कार्मिक)

बैंक आफ बड़ौदा

प्रधान कार्यालय : बड़ौदा

बड़ौदा, दिनांक 18 अक्तूबर 2000

सं० एच० ओ० ओ० एस० आर० व आई० आर० : 27/108/जी/2612:—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक आफ बड़ौदा का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बैंक आफ बड़ौदा, अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम 1976 में पुनः संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) ये विनियम बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) (संशोधन) विनियम, 2000 कहलायेंगे;

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम, 1976 में विनियम 14 उप विनियम 1, खण्ड (क) उप खण्ड में, मद (2) के स्थान पर निम्न पढ़ा जाये

"(2) जहां पर जांच बाह्य निकायों द्वारा की गई हो, वहां अगले तीन माह के लिये अधिकारी कर्मचारी के निलम्बन की तारीख से पहले की तारीख पर आहरित किये जा रहे मूल वेतन का 1/3 और निलम्बन की शेष अवधि के लिए अधिकारी कर्मचारी के निलम्बन की तारीख से पहले की तारीख पर आहरित किये जा रहे मूल का 1/2 ।

वी० जी० सुब्रमण्यन,
महाप्रबन्धक (मासंप्र)

पाद टिप्पणी : पहले किये गये संशोधन बैंक आफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन व अपील) विनियम 1976 सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे ।

क्रम सं०	अधिसूचना नम्बर	भारत के राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित
1.	एचओ : ओएसआर व आईआर : 27/108/1043, दिनांक 12-07-1989	09-09-1989
2.	एच० ओ० : ओ०एस०आर० व आई० आर० ए/10/13/871 दिनाक 21-4-1998	08-08-1998

सिण्डिकेट बैंक

कार्मिक विभाग

कर्मचारी कल्याण प्रभाग

प्रधान कार्यालय

मणिपाल-576119, दिनांक 20 नवम्बर 2000

शुद्धि पत्र

सं० 5568/प्रका/कल्प/संशोधन/2000:—भारत के राजपत्र दिनांकित 22-7-2000 भाग III के खण्ड 4 पृष्ठ सं० 3177 और 3178 में प्रकाशित "बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों का प्रतिग्रहण), संशोधन विनियम 2000 में संशोधन" के बारे में बैंक की अधिसूचना सं० और दिनांक

7-10-2000 के भारत के राजपत्र के भाग -III खण्ड 4 पृष्ठ सं० 4142 में प्रकाशित शुद्धिपत्र में अधिसूचना के प्रथम पैरा को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये और उसे निम्नवत् पढ़ा जाये :

वर्तमान पैरा	निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाये और उसे निम्नवत् पढ़ा जाये
सं० 5137/0012/कावि/कक प्र/2000 : बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम-1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सं० 430/एस० 0089/पी० डी०: आई आर डी (ओ०) दिनांक 1-2-95 और 3439/एस/0098/कावि/औसंप्र (ओ) दिनांक 15-11-95 के जरिये भारत के राजपत्र (राजपत्र दिनांक 04-03-95 और 9-12-95) में प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्-द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—	सं० 5137/0012/कवि/ककप्र/2000: बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अन्तरण) अधिनियम-1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 430/एस/0089/कावि/औसंप्र (ओ) दिनांकित 15-11-1995 द्वारा यथा संशोधित सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवा निवृत्ति के बाद गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में नौकरियों का प्रतिग्रहण) विनियम 1979 का अधिक्रमण करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

वाई० एम० पै०,
महा प्रबन्धक (कार्मिक)

मणिपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2000

सं० 4268/0089/का०वि०:औ० सं० प्र०(अ) विनियम 6(2)—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

(1) इन विनियमों को सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 2000 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सिंडिकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1976 में, विनियम 6 में, उप विनियम (2) के लिये, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् :—

"(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ दुराचरण या कदाचार के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिये आधार है, तो वह स्वयं उसकी सत्यता की जांच कर सकेगा या किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक है या रहा हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् जांच प्राधिकारी कहा गया है) को उसकी सत्यता की जांच करने के लिये नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जांच करता है तो उप-विनियम (8) से लेकर उप-विनियम (21) तक में जांच प्राधिकारी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जायेगा कि यह अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रति निर्देश है।"

अधिकारी का नाम :	(वाई० एम० पै०)
अधिकारी का पदनाम	महा प्रबन्धक (का और से)
फाइल सं०	विनियम 6(2)

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों को पहले ही किये गये संशोधन राजपत्र में, नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्रकाशित किये गये थे :

अधिसूचना की तारीख एवं संख्या	राजपत्र अंक सं० और तारीख
1. 2276/0089/का० वि० : औ सं० प्र० (अ) दिनांक 6-7-2000	राजपत्र अंक सं० 34 दिनांक 19-8-2000
2. 1129/0089/का० वि : औ सं० प्र० (अ) दिनांक 14-3-1998	राजपत्र अंक सं० 18 दिनांक 2-5-1998
3. 2077/एस/0089/का० वि०: औ सं० प्र०(अ) दिनांक 21-8-197	राजपत्र अंक सं० 37 दिनांक 13-9-1997
4. 2720/एस/0089/का वि० : औ० सं० प्र० (अ) दिनांक 4-11-1996	राजपत्र अंक सं० 2 दिनांक 11-1-1997

सिन्डीकेट बैंक के लिये
ओम प्रकाश,
वरिष्ठ प्रबन्धक,

UNION BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

239, VIDHAN BHAVAN MARG

Mumbai-400 021, the 12th April 2000

No. OSR/1n. -In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979—

1. (1) These regulations may be called the Union Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2000.

2. Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979

(a) in regulation 12, after sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

(4) any officer,—

(a) who had exercised option referred to in sub-regulation (1) and

(2) who continued even after the first day of February, 1984 to draw pay and allowances applicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular service of the bank on or after the first day of April, 1997.

may be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from the first day of April, 1997; on exercising such option, he will be fitted on the pay in such a manner that the pay as set out in Regulation 4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 01-04-1997 is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub-regulation (2) on 31-03-1997.

(b) in regulation 23,

(i) after sub-regulation (iii), the following proviso shall be inserted namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 40 p.m. or Rs. 25 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 125 per month or Rs. 100 per month" had been respectively substituted';

(ii) after sub-regulation (iv), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997, the provisons of this sub-regulation shall have effect as if for the letters, figures and words "Rs. 150 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 300 per month" had been substituted.';

(iii) in sub-regulation (v), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisons of this sub-regulation shall have effect as if,

(A) for the letters and figures "Rs. 700" the letters and figures "Rs. 1000" had been substituted;

(B) for the letters and figures "Rs. 350" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures "Rs. 500" had been substituted';

(iv) after sub-regulation (vii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the financial year 1997-98, the provisons of the sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150" the letters and figures "Rs. 250" had been substituted'.

(v) after sub-regulation (viii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35 p.m.", the letters, words and figures "Rs. 70" per month had been substituted';

(c) in regulation 32, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted namely :—

"Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in any subsequent year may be suffixed or perfixed to sick leave in the following three years",

(d) in regulation 42,—

(i) in sub-regulation 2(i), for the words and figures "On and from 1-7-1993", the words and figures "On and from 1-7-1993 but before 1-4-1997" shall be substituted,

(ii) after sub-regulation 2(i), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"2(i) (a) On and from the first day of April, 1997, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay Range	Where an officer has has family	Where an officer has no family
Rs. 4250 per month to Rs. 6210 per month	3000 kgs.	1500 kgs.
Rs. 6211 per month and above.	Full wagon	2500 kgs.

(iii) in sub-regulation (3), for the words and figures "On and from 1-1-1987", the words and figures "On and from 1-1-1987 but before 01-04-1997" shall be substituted;

(iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted :—

3(a) "On and from the first day of April 1997 an officer on transfer will be eligible to draw a lump sum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc :—

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs. 5000
Middle Management and Junior Management	Rs. 4000

G. R. ANAND
General Manager (P)

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above regulations were published in the Gazette of India vide Notification Nos. with dates as under :—

Sr. No.	Notification No.	Date
1	OSR/1	17-08-1987
2	OSR/2	02-12-1987
3	OSR 4	09 02-1989
4	OSR/7	30-10-1992
5	OSR/12	20-08-1996

INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT

Mumbai-400 021, the 13th August 2000

No. 3(a)/13-8-2000.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Director of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 976 namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called **Union Bank of India** Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Bank of India Officer Emmplmoyees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, in regulation 14, in sub-regulation (1), in clause (a) in sub-clause (ii), for item (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) Where the enquiry is held by an outside agency, 1/3 of the basic pay which the officer employee was drawing on the date prior to the date of suspension for the next three months and 1/2 of the basic pay which the officer employee wa, drawing on the date prior to the date of suspension fo the remaining period of suspension."

G. R. ANAND
General Manager (P)

Foot Note :—Earlier amendments to Union Bank of India Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below.
S. No., Notification No. & Dated

1. Part III—Section 4, 1st March, 1997.

Mumbai-400 021, the 31st October 2000

No. 3(c)/31-10-2000.—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby make the following Regulations further to amend the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976 namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Bank of India Officer Employees' (Conduct) Regulations, 1976, after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely :—

"24A. Prohibition of Sexual Harassment of Working Women :

(1) No officer employee shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her work place.

(2) Every officer employee who is in-charge of a work place shall take appropriate steps to prevent sexual harassment to any woman at such work place.

EXPLANATION—For the purpose of this regulation, "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as—

(a) physical contact and advances;

(b) a demand or request for sexual favours;

(c) sexually coloured remarks;

(d) showing pornography; or

(e) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature.

G. R. ANAND
General Manager (P)

OFFICER EMPLOYEES (ACCEPTANCE OF JOBS IN PRIVATE SECTOR CONCERNS AFTER RETIREMENT) REGULATIONS, 2000

No. 3(b)/31-10-2000.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercession of the notification published in the Gazette of India vide Part III—Section 4 dated 15-4-95, the Board of Directors of the Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :—

(1) These Regulations may be called Union Bank of India Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concerns after Retirement) Regulations, 2000.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. APPLICATION :—

These Regulations shall apply to all Officer Employees of the bank except :—

(i) Chairman of the bank;

(ii) Managing Director of the bank;

(iii) Whole time Director, if any;

(iv) Officer Employees covered under the Bank's (Employees) Pension Regulations, 1995;

(v) Those who are in casual employment or paid from contingency;

(vi) The Award Staff;

(vii) Officers on contract.

3. DEFINITION :—

In these Regulations unless the context otherwise requires :

(a) 'Bank' means Union Bank of India;

(b) 'Board' means the Board of Directors of the Union Bank of India;

(c) 'Competent Authority' means the authority empowered by the Board for the purpose of these regulations;

(d) 'Employment in private concerns' means :—

(i) an employment in any capacity including that of an agent, under a company (including a banking company), co-operative society, firm or individual engaged in trading, commercial, industrial, financial or professional business and includes also a directorship of such company (including a banking company) and partnership of such firm, but does not include employment under a body corporate, wholly or substantially owned or controlled by the Central government or a State Government;

(ii) setting up practice, either independently or as a partner of a firm, as adviser or consultant in matters in respect which the person :—

(a) has no professional qualifications and the matters in respect of which the practice is to be set up or is carried on are relatable to his official knowledge or experience, or

(b) has professional qualifications but the matters in respect of which such practice is to be set up are such as are likely to give his clients an unfair advantage by reason of his previous official position, or

(c) has to undertake work involving liaison or contact with the offices or officers of the bank.

EXPLANATION :—For the purpose of this clause, the expression "employment under a co-operative society" includes the holding of any office, whether elective or otherwise, such as that of President, Chairman, Manager, Secretary, Treasurer and the like, by whatever name called in such society.

"Officer employee" means a person who has held a supervisory, administrative or managerial post in the bank or any other person who was appointed and/or has functioned by an officer of the bank at the time of his retirement by whatever designation called.

4. ACCEPTANCE OF EMPLOYMENT AFTER RETIREMENT :—

(1) If a person who immediately before his retirement was holding the post of an officer employee and wishes to accept any job in private concern before the expiry of two years from the date of his retirement, he shall obtain the previous sanction of the bank to such acceptance.

(2) Subject to the provision of sub-regulation (3), the bank may by order in writing, on the application by a person, grant, subject to such conditions, if any, as it may deem necessary, permission, or refuse, for reasons to be recorded in the order, permission to such person to take up the job in private concern specified in the application.

(3) In granting or refusing permission under sub-regulation (2) to a person for taking up any commercial employment the bank shall have regard the following factors, namely :—

(a) the nature of the employment proposed to be taken up and the antecedents of the employer;

(b) whether his duties in the employment which he proposes to take up might be such as to bring him into conflict with the bank;

(c) whether the officer employee while in service had any such dealing with the employer under whom he proposes to take employment as it might afford a reasonable basis for the suspicion that such person had shown favours to such employer;

(d) whether the duties of the commercial employment proposed involve liaison or contact work with bank;

(e) whether his commercial duties will be such that his previous official position or knowledge or experience under bank could be used to give the proposed employer an unfair advantage;

(f) the emoluments offered by the proposed employer, and

(g) any other relevant factor.

(4) Where within a period of sixty days of the date of receipt of an application under sub-regulation (2), the bank does not refuse to grant the permission applied for or does not communicate the refusal to the applicant, the bank shall be deemed to have granted the permission applied for.

Provided that in any case where defective or insufficient information is furnished by the applicant and it becomes necessary for the bank to seek further clarifications or information from him, the period of sixty days shall be counted from the date on which the defects have been removed or complete information has been furnished by the applicant.

(5) Where the bank grants the permission applied for subject to any conditions or refuses such permission, the applicant may, within thirty days of the receipt of the order of the bank to that effect, make a representation against any such condition or refusal and the bank may make such orders thereon as it deems fit:

Provided that no order other than an order cancelling such condition or granting such permission without any conditions shall be made under this sub-regulation without giving the person making the representation an opportunity to show cause against the order proposed to be made.

(6) Every order passed by the bank under this Regulation shall be communicated to the person concerned.

G. R. ANAND
General Manager (P)

BANK OF BARODA

HEAD OFFICE : BARODA

Baroda, the 18th October 2000

No. HO : OSR&IR : 27/108G/2642.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 namely :—

1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulaitons may be called the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, in regulaiton 14, in sub-regulatoin (1), in clause (a) in sub-clause (ii), for item (2), the following shall be substituted, namely :—

"(2) Where the inquiry is held by an outside agency, 1/3 of the basic pay which the Officer employee was drawing on the date prior to the date of suspension for the next three months and 1/2 of the basic pay which the officer employee was drawing on the date prior to the date of suspension for the remaining period of suspension."

V. G. SUBRAMANIAN
General Manager (HRM)

Foot Note :—Earlier amendments to Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 were published in the Gazette as per details given below :

Sr. No., Notification No.	Published in the Gazette of India dated
1. HO : OSR&IR : 27/108/1043 dtd. 12-7-1989	09-09-1989
2. HO : OSR&IR : A/10/13/871 dtd. 21-4-1998	08-08-1998

SYNDICATE BANK

PERSONNEL DEPARTMENT

STAFF WELFARE DIVISION

HEAD OFFICE

Manipal-576119, the 20th November 2000

CORRIGENDUM

No. 5568/HO/SWD/AMEND/2000.—In the Bank's Notification on "Amendment to Bank Officer Employees' (Acceptance of jobs in Private Sector concerns after retirement) Amendment Regulation 2000" published on Page No. 3184 and 3185 in Part III Section 4 of the Gazette of India dated 22-7-2000 and the corrigendum published on Page No. 4142 in Part III Section 4 of the Gazette of India dated 7-10-2000,

the first para of the Notification be replaced and read as follows :

Existing Para	To be Replaced with and read as
No. 5137/0012/PD/SWD/2000.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer if Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and in supercessoin of the notification published in the Gazette of India vide 430/S/0089/PD.IRD(O) dated 1-2-95 and 3439/S/0098/PD/IRD(O) dated 1511-95 (Gazette dated 4-3-95 and 9-12-95 the Board of Directors of the Syndicate Bank in consultation with Reserve Bank of India with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—	No. 5137/0012/PD/SWD/2000.—In exercise of powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (5 of 1970) and in supercession of Syndicate Bank Officer Employees (Acceptance of Jobs in Private Sector Concers after Retirement). Regulations, 1979 as amended vide notification No. 430/S/0089/PD/IRD(O) dated 1-2-1995 and 3439/S/0098 PD IRD (O) dated 5-11-95 the Board of Directors of the Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India & with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

Y. M. PAI
General Manager (P)

Manipal, the 29th November 2000

No. 4268/0089/PD : IRD(O)/Reg. 6(2).—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisiiton and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) the Board of Directors of Syndicate Bank in consultation wtih the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short Title and Commencement :

(1) These Regulations may be called the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Syndicate Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 in regulation 6, for sub-regulaiton (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(2) Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against an officer employee, it may itself enquire into, or appoint any other person who is, or has been, a public servant (hereinafter referred to as the Inquiring authority) to inquire into the truth thereof.

Explanation—when the Disciplinary Authority itself holds the inquiry any reference in sub-regulation (8) to sub-regulation (21) to the Inquiring authority shall be construed as reference to Disciplinary Authority".

Name of the Officer — Y. M. PAI

Designation of the Officer — General Manager (P&S).

File No. — Reg. 6 (2)

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above regulations were Gazetted as per details given below :

Notification Number and Date	Gazette Issue No. and Date
1. 2276/0089/PD : IRD(O) dated 6-7-2000.	Issue No. 34 of Gazette dated 19-8-2000
2. 1129/0089/PD : IRD (O) dated 13-4-1998.	Issue No. 18 of Gazette dated 2-5-1998
3. 2077/S/0089/PD : IRD (O) dated 21-8-1997	Issue No. 37 of Gazette dated 13-9-1997
4. 2720/S/0089/PD : IRD (O) dated 4-11-1996.	Issue No. 2 of Gazette dated 11-1-1997

for Syndicate Bank
Sd/-
Sr. Manager

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2000